न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

मनोज कंवर बनाम तहसीलदार, धोद

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र अ.धा. 136 एलआर एक्ट मु.नं. 324 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
19/8/25	प्रार्थीया मनोज कंवर पुत्री भंवर सिंह पत्नी प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अनोखू तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम अनोखू तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 280, 281, 282, 20, 47, 19 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टियां मंजुकंवर पुत्री भंवरसिंह दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। ग्राम अनोखू तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 438 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टियां मंजू कंवर पुत्री भंवरसिंह उर्फ किशोरसिंह दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीया के नाम की सही प्रविष्टि मनोज कंवर पुत्री भंवर सिंह है। अर्थात् प्रार्थीया का सही नाम मनोज कंवर पुत्री भंवर सिंह है। प्रार्थीया के नाम से बने दस्तावेजात आदि की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टियां मनोज कंवर पुत्री भंवर सिंह अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टियां मंजुकंवर पुत्री भंवरसिंह/मंजू कंवर पुत्री भंवरसिंह उर्फ किशोरसिंह के स्थान पर मनोज कंवर पुत्री भंवर सिंह दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थीया के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1645 दिनांक 19.08.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अनोखू तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 280, 281, 282, 20, 47, 19 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टियां मंजुकंवर पुत्री भंवरसिंह के स्थान पर मनोज कंवर पुत्री भंवर सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वाके ग्राम अनोखू तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 438 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि मंजू कंवर पुत्री भंवरसिंह उर्फ किशोरसिंह के स्थान पर मनोज कंवर पुत्री भंवर सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो [illegible] के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीयापक्ष स्वयं जि[illegible]। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./[illegible] द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी [illegible] आदेश का [illegible] अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धो[illegible] को लिखा जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.20 15:55:28 IST
Reason: SelfAttested